

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216119
CG-DL-E-13022020-216119

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2020/माघ 22, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2020/MAGHA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 12/2020-सीमाशुल्क (गै. टे.)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 105(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 जिसे सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कर्नाटक राज्य से संबंधित क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम (3) और (4) में, प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)
“(v) विमगल औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम- कूरगल, जिला- कोलार तालुक ओर कोलार	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना”

[फ़ा. सं. 434/10/2017-सीमाशुल्क-IV]

गौरव सिंह, उप सचिव (कर अनुसंधान एकक)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमा शुल्क (गै. टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 सा.का.नि. 193 (अ) दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 58/2019- सीमा शुल्क (गै. टे.), दिनांक 08 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 566 (अ), दिनांक 08 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(Central Board of Indirect Taxes and Customs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2020

No. 12 /2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 105(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the TABLE, against serial number 6, relating to the State of Karnataka, in columns (3) and (4), after the entries the following entries shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“(v) Vemgal Industrial Area, Koorgal Village, Kolar Taluk and Kolar District.	Unloading of imported goods and loading of export goods.”

[F. No. 434/10/2017-Cus-IV]

GAURAV SINGH, Dt. Secy. (Tax Research Unit)

Note: The principal notification No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 193 (E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification No. 58/2019-Customs (N.T.), dated the 8th August, 2019 vide number G.S.R. 566(E), dated the 8th August, 2019.